



# Jharkhand Renewable Energy Development Agency

(State Govt. Agency Under Department of Energy, Jharkhand)

पत्रांक ..... 923/2022

रॉची, दिनांक, 09/05/2022

सेवा में,

**M/s Zinius Power Solution Pvt. Ltd.,  
172, Chotobali Danga, Chotonilpur,  
Burdwan, West Bengal-713102  
E-mail-zinius.power@gmail.com**

विषय:

बोकारो हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, अधिष्ठापन, संचालन एवं 5 वर्षों की वार्षिक रख-रखाव (CMC) कार्य नहीं करने के कारण कार्यादेश रद्द किये जाने एवं काली सूची में डालने के संबंध में।

प्रसंग:

1. निविदा संख्या: 02/JREDA/SPV/AIRPORT/21-22
2. जेडा कार्यादेश संख्या 190/2021 दिनांक 11.10.2021
3. एकरारनामा दिनांक 10.12.2021
4. जेडा पत्रांक 468/2022 दिनांक 14.03.2022, जेडा पत्रांक 710/2022 दिनांक 11.04.2022, एवं जेडा पत्रांक 755/2022 दिनांक 19.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि प्रासंगिक निविदान्तर्गत जेडा कार्यादेश संख्या 190/2021 दिनांक 11.10.2021 एवं एकरारनामा दिनांक 10.12.2021 के माध्यम से राज्य के बोकारो हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, अधिष्ठापन, संचालन एवं 5 वर्षों की वार्षिक रख-रखाव (CMC) कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया है।

कार्यादेश की कंडिका-6.0 के अनुसार 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं कमिशनिंग कार्य कार्यादेश की तिथि से 180 दिनों के अन्दर पूर्ण किया जाना प्रावधानित है, लेकिन लगभग 06 (छः) माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी आपके द्वारा आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जो कार्यादेश एवं एकरारनामा में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।

आपके द्वारा दिनांक 16.04.2022 को ई-मेल के माध्यम से Pre-Dispatch Inspection (PDI) हेतु अनुरोध पत्र समर्पित किया गया, जिसके आलोक में 540 कि०वा० मॉड्यूल के Factory Test Report (FTR) की मांग की गयी थी, ताकि आपके द्वारा उल्लेखित Factory में PDI किया जा सके। परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी जेडा को उपलब्ध नहीं कराया गया एवं Factory में भी सम्पर्क करने पर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गयी। आपकी लापरवाही के कारण अब तक PDI कार्य लंबित है।

जेडा द्वारा पत्रांक 755/2022 दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से अंतिम सूचना के साथ दिनांक 23.04.2022 तक Land labeling, Glair Analysis test इत्यादि कार्य कराते हुए एवं Work action plan समर्पित करते हुए बोकारो हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करने एवं अवशेष 540 किलोवाट क्षमता के सोलर मॉड्यूल तैयार कराकर serial nos. समर्पित करते हुए Pre-Dispatch Inspection (PDI) कार्य कराने के पुनः निर्देश दिया गया। साथ ही प्रधान सचिव, ऊर्जा द्वारा भी आपको दूरभाष के माध्यम से दिनांक 30.04.2022 तक संबंधित कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया था।

अतः स्पष्ट है कि आपके द्वारा उक्त कार्यादेश के तहत आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है साथ ही जेडा के द्वारा दिये जा रहे स्मार पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो घोर लापरवाही का द्योतक है, जिससे उक्त महत्वाकांक्षी योजना का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 07.05.2022 को निविदा एवं कार्यादेश में निहित प्रावधानों के आलोक में आपको निर्गत कार्यादेश संख्या 190/2021 दिनांक 11.10.2021 को रद्द करते हुए आपके द्वारा उक्त कार्यादेश के तहत समर्पित बैंक गारंटी को जब्त किया जाता है एवं आपकी एजेंसी को जेडा की निविदाओं में भाग लेने से 1 वर्ष के लिये प्रतिबंधित करते हुए काली सूची में डाला जाता है।

विश्वासभाजन,

  
निदेशक